

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक-वि०प्रा०(1)व-4/2011/

पटना, दिनांक-\_\_\_\_\_

**संकल्प**

विषय:- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्मप्रमुख, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक के लिए नया अनुशसित मासिक मानदेय दिनांक-01.11.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-2401, दिनांक-18.07.2007 की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में गठित समिति के द्वारा पुनर्निर्गत विभागीय आदेश संख्या-657, दिनांक-07.03.2012 द्वारा निर्धारित मानदेय को पुनरीक्षित किया गया और राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में सविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रोग्रामर, कर्मप्रमुख, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक एवं लिपिक को दिनांक-01.11.2016 के प्रभाव से निम्नवत मासिक मानदेय लागू किया जाता है।

अभियंत्रण महाविद्यालय:-

(i)	सहायक प्राध्यापक	रु० 35,000/- (प्रतिमाह)
-----	------------------	-------------------------

पोलिटेकनिक संस्थान:-

(i)	व्याख्याता	रु० 30,000/- (प्रतिमाह)
-----	------------	-------------------------

अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के गैर शैक्षकनिक पद (तकनीकी):-

(i)	प्रोग्रामर	रु० 15,000/- (प्रतिमाह)
(ii)	कर्मप्रमुख	रु० 17,000/- (प्रतिमाह)
(iii)	प्रयोगशाला सहायक	रु० 14,000/- (प्रतिमाह)
(iv)	अनुदेशक	रु० 13,000/- (प्रतिमाह)
(v)	लिपिक	रु० 10,000/- (प्रतिमाह)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह.०।

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार पटना।

ज्ञापांक-वि०प्रा०(1)वै-4/2011/

पटना, दिनांक:-----

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०)/वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह.।-

उप सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार पटना।

ज्ञापांक-वि०प्रा०(1)वै-4/2011/

2714

पटना, दिनांक: 27.10.2016

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक/लिपिक/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार पटना।

27/10/16